

[Shri A. P. Chatterjee]

Labour, is also here. Though the matter I am going to raise pertains to the railway workers in West Bengal, yet, because it is an industrial dispute, I think the hon. Minister of Labour is also interested, at least should be interested.

I might tell this House that from the 28th of July last the second firemen of the Railways in the Sealdah and Howrah Divisions have been on strike. This strike has now spread to other loco sheds, and I should not call it a strike. This is actually a protest by the second firemen for being drafted into the work of protection and care of the boilers. Now what the second firemen have said is that the protection and care of the boilers, well, that is a thing that has to be done only by the first firemen or by the drivers. Naturally, with no or little technical competency for all these things, they are not prepared to take that risk. Now, because of that thing, Mr. Chairman, Sir, these second firemen are not being given work. And not only that; more than forty of them have been suspended; three have already been arrested. In West Bengal, the situation is very serious as far as this position in regard to the firemen of the Howrah and Sealdah Divisions and other Divisions of the Eastern Railway in West Bengal are concerned.

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE (Bihar): He seems to be making a speech.

MR. CHAIRMAN: You should not make a speech. You just call my attention and the attention of the House to this.

SHRI A. P. CHATTERJEE: Therefore I request the hon. Minister of Labour who is present here, and the hon. Minister of Railways who is not present here but who may come to know about the proceedings of the House to see that this thing, well, is settled to the satisfaction of the second firemen who really do not want to strike but who have been put to this position because of the obstinate action of the railway authorities.

MR. CHAIRMAN: The House now adjourns and reassembles at 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at twenty-seven minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at half-past two of the clock, THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

# RESOLUTION RE ACCORDING FULL STATEHOOD TO THE UNION TERRITORY OF HIMACHAL PRADESH—contd.

SHRI C. D. PANDE (Uttar Pradesh): Madam Deputy Chairman, this Resolution moved by my friend, Mr. C. L. Varma, has had wide support in this House. Never before any Resolution has had such wide support as this one. Scores of hon. Members have spoken and there has not been a single dissident voice. In spite of this if I stand up again today and encroach upon the time of the House, there is an explanation for it. I come from an area which is adjacent to Himachal Pradesh and if I speak something it may be given some credence because I have personal knowledge of the area. I come from the hill area of Uttar Pradesh which is one of the biggest State in the country and a viable State. Its viability may be a feeble one but it is considered to be a viable State. Now this Himachal is a scenic area with 30 lakhs of population and they want Statehood. But somehow the objection is that it is not viable. Let us see what is the test of viability. Whatever the arrangements they have had so far whether they have utilised their resources carefully, whether they have administered their area well or not, these are the tests. Compared to even in the bigger States, you will find that in the case of Uttar Pradesh within the last fifteen years the *per capita* income has gone down whereas in Himachal Pradesh it has gone up. It is a matter of surprise and pleasure that in Himachal Pradesh the *pre capita* income is more than the Indian average. The Indian average is 315 whereas in Himachal Pradesh it is about 360. Madam Deputy Chairman, twenty years back we, living in the hills of Uttar Pradesh, felt a little proud that we belonged to the hills which are advanced. Today that feeling has evaporated, that feeling has changed. Formerly we thought we were superior to the people living in Himachal Pradesh because at that time they were part of tiny Native States, their standard of living was very low, their income was very low and they had practically no means of transport and communications and practically no education worth the name but in the last

20 years if you see the record of their achievements you will be surprised. Roads instead of 200 miles they have done 5,000 miles; instead of one college they have got 18 colleges; instead of 50 schools they have got 5,000. In everything they have gone up to ten times at the least, if not more. How has it come about? No doubt they have been given a little subsidy but many other States also have been given subsidies but they have not utilised their resources to the maximum advantage. Himachal Pradesh is the one State which has utilised its resources to the full and anybody who knows them, anybody who knows the place, who has gone to—Himachal Pradesh, will know how prosperous they are. I do not mean prosperous in the sense Switzerland is prosperous but they are prosperous in the sense that India is prosperous.

SHRI AKBAR ALI KHAN (Amdhra Pradesh) : Comparatively.

SHRI C. D. PANDE : Yes; comparatively. In Himachal Pradesh there are areas where apples are grown and as my hon. friend, Mrs. Dang will bear me out, with a two acre holding they make 30,000 to 40,000 rupees through apples. They also grow potatoes and their potatoes are sold at Rs. 50 a maund for seed purposes whereas our potatoes from the Kumaon Hills are sold at Rs. 25 to Rs. 30 per maund. I do not envy them. They have worked for it whereas we have lagged behind. So this question of viability is not a fundamental question. It is not really speaking the material factor. Viability of a State is one thing while capability of administration and the desire to go up is another thing. These are the factors which will make Himachal Pradesh a perfectly viable State. It is said because a few crores of rupees are given as subsidy every year, therefore it is not viable and so it cannot be given Statehood. I will put it the other way. Will you go on giving this subsidy for years to come and keep them non-viable or will you give them the Statehood and tell them that within a few years their subsidy will be cut down? You do not want to make them perpetually dependent on Centre's resources. And they are prepared for it. You are giving this subsidy because they are not a full State, but do you want to continue this for long? The people of Himachal Pradesh say: you give us subsidy and

you give us Statehood and we promise to you that within five or six years this subsidy could be cut down and we will be in a position not to depend on your subsidy. If that is the position, why is there any objection to giving full Statehood to Himachal Pradesh?

Here I will compare the two hill districts of Uttar Pradesh. It is a very small area. One is the Uttar Kasi District.

SHRI M. P. SHUKLA (Uttar Pradesh) : Are you pleading for carving out a Hill State in Uttar Pradesh?

SHRI C. D. PANDE : I shall come to that. And the other is the District of Tehri-Garhwal. This area is adjacent to the Himachal Pradesh. In Himachal Pradesh the *per capita* income is 360 whereas this area of Uttar Kasi and Tehri-Garhwal has the lowest *per capita* income in the whole country.

SHRI RAJENDRA PRATAP SINHA (Bihar) : Do you want this to be transferred to Himachal Pradesh?

(Interruptions)

THE DEPUTY CHAIRMAN : You have no time. Please wind up, Mr. Pande.

SHRI C. D. PANDE . Madam, you will be surprised to know that the *per capita* income in Uttar Kasi and Tehri Garhwal is 84 which is nearly one-fourth of the *per capita* income in the adjacent area. Madam Deputy Chairman, the question is, whether, whatever resources we have put at the disposal of Himachal Pradesh, they have utilised or not and whether they are in a position or not to develop that State as good as any other State in the country. They have got an area of 22,000 sq. miles. It is bigger than Punjab; it is bigger than Haryana. The people there are governing themselves well and there should be no objection in giving full Statehood to Himachal Pradesh. (Time bell rings.) Madam, one small word for the satisfaction of my hon. friends here.

THE DEPUTY CHAIRMAN : You cannot take more than fifteen minutes; that is the rule.

SHRI C. D. PANDE : Just a word. In the hill areas of U.P. there is a feeling that we are neglected, that we are not given proper share in the prosperity of the country, that planning is

[Shri C. D. Pande]

not taking place, that Uttar Pradesh itself is backward and the hill areas of Uttar Pradesh are more backward and therefore if you do not take care of this situation in time, the situation in U.P. also will go out of control.

THE DEPUTY CHAIRMAN :  
Now, that will do.

I want to know from hon. Members present in the House; this Resolution has been debated. We had laid down a time limit but we have exceeded that time limit. The Minister has intervened. So what is the opinion of the House? May I call the mover to reply?

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान) : महोदया, मेरा निवेदन है कि अगर बोलने वालों की सूची समाप्त हो गई हो तब तो प्रस्तावक को जवाब देने के लिये बुलाना चाहिए। अगर बोलने वालों की सूची समाप्त न हुई हो, तो केवल यह कह कर कि हमने पहले दो दिनों तक थोड़े-थोड़े समय तक इस प्रश्न पर विचार किया है; मैं ऐसा समझता हूँ कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिये एक दिन निश्चित किया गया था। आज से पन्द्रह दिन पहले साधारणतया यह प्रस्ताव समाप्त होकर उस दिन की कार्यसूची में जो दूसरे नम्बर का प्रस्ताव था श्री निरंजन वर्मा का, गोरक्षा के प्रश्न पर, स्वाभाविक रूप से उस दिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के निर्णय के अनुसार वह प्रस्ताव विचारार्थ लेना चाहिए था। आज हम को उस प्रस्ताव पर विचार करने की आवश्यकता थी। अगर इन निजी प्रस्तावों पर सरकार या बाकी सदस्यों के निश्चयों का उल्लंघन कर के एक प्रस्ताव यहाँ पर विचारार्थ नहीं आ सका महज इस वजह से कि कुछ लोगों के लिये रुचिकर है या अरुचिकर, और एक प्रस्ताव के लिये अगर वही प्रक्रिया चालू है, तो फिर मैं उसी पद्धति के विरोध-स्वरूप आपसे यह निवेदन करूँगा कि आज अगर इस प्रस्ताव पर बोलने वाले सदस्य आप को लिस्ट में हैं तो आप उन्हें

पूरा मौका देने के पहले प्रस्तावक को इसका जवाब देने के लिये मत बुलाइये। नहीं तो फिर हम लोगों का बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में किसी प्रकार का निश्चय करना, आपका इस मंच पर से घोषणा करना कि इसके लिए इतना समय निश्चित किया गया है और बाकी के सब दूसरे प्रस्तावों को बार बार सूची पर से हटा देने की प्रक्रिया प्रारम्भ करना मैं समझता हूँ कि यह निजी प्रस्तावों के बैलट में प्राप्त अधिकारों का हनन करने की समाप्त करने की प्रक्रिया होगी और इस कारण मैं यह चाहूँगा कि अगर आपकी सूची में बोलने वाले सदस्यों के नाम हैं तो आप कृपा करके इस प्रस्ताव को न रखें कि इस पर चर्चा समाप्त की जाय या न की जाय।

THE DEPUTY CHAIRMAN : I want to know if all the political parties, their representatives, have spoken on this and how many more want to speak. I would like to know who all want to continue this because I do feel that the next Resolution should be touched. I do not know, but Mr. Bhandari said that a time-limit was given and it was exceeded . . .

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : You announced it.

THE DEPUTY CHAIRMAN : I announced it and I also announced that on the next day 1½ hours would be given. That also is fresh in memory. Since the Minister has intervened and done with it, I would like to know the opinion of the House. Do you want this to be carried on or . . .

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : Is it to be decided by votes?

THE DEPUTY CHAIRMAN : Not by votes. How many want to speak on this? The names given here do not matter at all. On the Congress side 18 names are cancelled. Please stand up before me. I want to know how many want to speak on this Resolution.

(Shri Ram Sahai and Dr. Salig Ram stood up)

SHRI M. M. DHARIA (Maharashtra) : Madam, on a point of order.

Under our rules, if the mover of the Resolution wishes to withdraw the Resolution with the consent of the House . . .

**SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI :** When?

**SHRI M. M. DHARIA :** . . . he can withdraw it. Any moment, whenever he feels so. With the consent of the House he can withdraw the Resolution. So, through you, may I appeal to the hon. mover? Almost all sections, parties and several Members have expressed their desire and they have all supported the contention that Himachal Pradesh should have the status of a complete and full-fledged State as envisaged in the Constitution. When that desire has been expressed, I may request, through you, that Mover to withdraw his Resolution, so that it will facilitate others also to move their Resolutions.

**THE DEPUTY CHAIRMAN :** Have you any comment on this, Mr. Varma?

**SHRI C. L. VARMA (Himachal Pradesh) :** I want to reply.

**THE DEPUTY CHAIRMAN :** Under the rules he has a right to reply. I know that. What is your opinion, please let me know.

**SHRI C. L. VARMA :** I want to reply.

**SHRI BRAHMANANDA PANDA (Orissa) :** Mr. Bhandari has raised a different issue . . .

**THE DEPUTY CHAIRMAN :** I know he has raised a different issue.

**SHRI BRAHMANANDA PANDA :** We want a ruling on this. There are certain people whose names have been given. Yesterday my name was there on the Kantilal list . . .

**THE DEPUTY CHAIRMAN :** We had a long list.

**SHRI BRAHMANANDA PANDA :** I was not called. Our voices should not be stifled. Otherwise, you do not enter our names at all.

**THE DEPUTY CHAIRMAN :** I may have a hundred Members on the list and it is impossible to call everyone. Really there should be no list and it should be left to my eyes and ears. But we have this convention that

a list is submitted by the Whip on that side and by the representatives of different Parties there and we have conducted our business on that sort of convention.

**SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI :** All those who stood up before you should be given an opportunity.

*(Interruptions)*

**THE DEPUTY CHAIRMAN :** Mr. Dharia has raised a point of order. I am only asking the mover of the Resolution what his opinion is on his suggestion.

**SHRI C. L. VARMA :** I want to reply. I must have a chance to reply.

**THE DEPUTY CHAIRMAN :** There are at least two who want to speak. Let them speak. After that I will call you to reply. Mr. Ram Sahai, please restrict yourself to the time-limit.

**श्री राम सहाय (मध्य प्रदेश) :** उपसभा-पति महोदया, मुझे हिमाचल प्रदेश के बारे में कोई विशेष बात नहीं कहनी है। श्री वर्मा जी ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने सारी बातें हाउस के सामने रख दीं। मेरा तो इतना सा निवेदन है कि उत्तराखंड के इलाके में जो हिमालयन एरिया है, उसमें मैं काफी घूमा हूं, पैदल भी घूमा हूं और बस से भी सफर किया है। मेरा ऐसा विश्वास है कि वहां की जनता बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है और उसके सुधार के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि वहां की असेम्बली को पूरे अधिकार दिए जायें। वहां की जनता की कितनी पिछड़ी हालत है इसका दिग्दर्शन वहां देखने से ही हो सकता है। इसके माने यह नहीं है कि वहां योग्य व्यक्तियों की कमी है। जो वहां आजकल चीफ मिनिस्टर हैं, डा० परमार वे मेरे पुराने साथी हैं कास्टीट्यूट असेम्बली के वक्त के। वे बहुत अरसे से वहां चीफ मिनिस्टर हैं। वे बहुत योग्य व्यक्ति हैं। उनके समय में इस प्रदेश ने काफी तरक्की की है। असेम्बली में भी बहुत से योग्य व्यक्ति हैं। निश्चय हो उनको जो अधिकार दिए

[श्री राम सहाय]

जायेंगे उनका उपयोग वे जनता के हित के लिए बहुत योग्यतापूर्वक कर सकेंगे। जैसा कि मिस्टर छारिया ने कहा। सभी पार्टियाँ इसका समर्थन करती हैं कि वहाँ असेम्बली को अधिकार मिलना चाहिये। मैं भी इसी बात को दोहराते हुए शासन से निवेदन करूँगा कि जल्दी से जल्दी उनको यह अधिकार मिलना चाहिए ताकि वहाँ की प्रोग्रेस ठीक से हो सके। वहाँ फलों की पैदावार बहुत हो सकती है, वहाँ बिजली का उत्पादन बहुत बढ़ सकता है जिससे दूसरे प्रदेश भी लाभ उठा सकते हैं और मेरा ऐसा निश्चित मत है कि जो वहाँ के लोग स्कीम बना कर कामयाब कर सकते हैं वह यहाँ से बैठे हुए लोग नहीं कर सकते। इसलिए उनको पूर्ण अधिकार मिलना बहुत ही मुनासिब है।

DR. SALIG RAM (Himachal Pradesh): Madam Deputy Chairman, Himachal Pradesh is one of the Union territories which can justifiably claim right to Statehood. The people of Himachal Pradesh have been demanding this for a number of years and after the merger of the new areas, upon the reorganisation of Punjab in 1966, this demand of the people for Statehood has no longer been a theoretical issue, but one which must be decided by the nation and the wishes of the people must be met without delay.

The chief argument used against granting Statehood is that Himachal Pradesh is not an economically viable unit and it requires aid and finances from the Government. Himachal Pradesh has not been fully developed as yet so as to augment its sources of income and revenue of its own. Modern technological and scientific development needs a large investment in money and manpower. The people of Himachal have been devoting their full skill, resources and energies to the development of the State. Now, it is the duty of the Government to see that such development is further advanced and success achieved for which the financial resources must be easily forthcoming from the Union Finance Ministry. Till such time as the people have not generated viable economic infrastructure, the Central Government must come forward willingly with aid.

We lack nothing but hard cash to make a rapid progress in all spheres. We have the manpower, minerals, forests, horticulture, huge hydro-electric potential, tourism and health resorts. All these are great assets if fully developed. Our forest wealth alone is one of the richest in the country and so are our unexploited mineral and hydro-electric resources. Tourism can be developed so as to bring it at par with Kashmir. All that is required is financial investment which I hope the Centre will readily make available as in the case of other States.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL (Gujarat): As in the case of Kashmir, say that. Make Himachal Pradesh another Kashmir.

DR. SALIG RAM: Himachal Pradesh is a border State. It should be given aid as in the case of other border States.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: Under this Government it is not going to stay long.

DR. SALIG RAM: Industry is not being given full thought by the Centre. There have been discussions regarding the setting up of paper pulp, cement and fruit preservation industries. All these are sure to give rich dividends to the Government if fully developed.

The present Government led by Dr. Y. S. Parmar has made great efforts to mobilise all available resources and to invest them in such a manner as to yield good results. Today, Bhakra dam, the Joginder Nagar hydro-electric scheme, the Pong dam on the river Bias, the Bias-Sutlej link, they are all situated in Himachal Pradesh. Yet an adequate share of the income is denied to our people. On the other hand the burden of top-heavy administrative structure is thrust upon the Government and the people. This is paradox and must be ended. I would request the Government to help the people and the Government of Himachal Pradesh to exploit the resources fully and reduce expenditure on the heavy administrative set-up. This, along with our development plans, makes us a viable unit and the people will be able to master their own destiny. The proposal to grant Statehood for Himachal Pradesh is fully justifiable and beyond question, and I support the resolution.

श्री सी० एल० वर्मा : माननीय उपसभा-पति महोदया, मैं आपकी आज्ञा से सबसे पहले माननीय सदन का, खास कर उन सम्मानित सदस्यों का, जिन्होंने इस प्रस्ताव की बहस में हिस्सा लिया और समर्थन किया, उनका बहुत आभारी हूँ।

SHRI BRAHMANANDA PANDA :  
Everybody has supported you except the Minister.

श्री सी० एल० वर्मा : मैं सदन के माननीय सदस्यों का हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से और हिमाचल प्रदेश की 30 लाख जनता की तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ माननीया, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बिज़िनेस एडवाइजरी कमेटी ने इस प्रस्ताव के लिये एक दिन दिया था पर आपने प्रस्ताव की अहमियत को देखते हुए इसको तकरीबन ढाई दिन दे दिये हैं।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : केवल अहमियत के आधार पर नहीं।

श्री सी० एल० वर्मा : साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री विद्या चरण शुक्ल जी का भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया और गवर्नमेंट की तरफ से विश्वास दिलाया कि हिमाचल प्रदेश को जल्द से जल्द पूरी स्टेटहुड मिल जायगी। मैं माननीय शुक्ल जी का ध्यान एक-दो बातों की तरफ दिलाना चाहता हूँ। यह ठीक है कि आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया मैं उसके लिये उनको धन्यवाद करता हूँ, मगर साथ साथ आपने यह भी एक जगह कही जिसकी तरफ मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूँ कि :

'There is some kind of public support to the demand that H.P. should become a full State.'

इससे मुझे काफी हैरानी और परेशानी हुई है कि यह "सम सपोर्ट" क्या है। हिमाचल प्रदेश की जितनी पोलिटिकल पार्टियाँ हैं सब की एक ही मांग है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस

एकजोक्यूटिव का प्रस्ताव होम मिनिस्ट्री के पास मौजूद है और इसके अलावा जब कांगड़ा वगैरह हिमाचल प्रदेश में मिल, 2 नवम्बर को शिमला गिर्जा मैदान के अंदर एक बड़ा भारी जत्सा हुआ जिसमें डेढ़ लाख से ज्यादा आदमी थे उसमें एक राज्य से प्रस्ताव पास किया गया कि हिमाचल प्रदेश को पूरी स्टेटहुड मिलनी चाहिये, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि गवर्नमेंट आफ इन्डिया की तरफ से बहुत ज्यादाती हुई कि जो लोग 'ए' स्टेट से आये हैं उनको यूनियन टैरीटरी का दर्जा दिया गया। इसके साथ साथ, जो सबसे जरूरी सवाल है वह यह है कि हिमाचल प्रदेश की विधान सभा, जिसके अंदर सब पोलिटिकल पार्टियाँ मौजूद हैं—कांग्रेस भी है, जन संघ भी है, स्वतंत्र पार्टी भी है, दूसरी पार्टियाँ भी हैं—उन सब की एक राय से 24 जनवरी को एक प्रस्ताव इस मांग के सिलसिले में पास हुआ। फिर जैसे ही वहाँ हाउस में प्रस्ताव आया तो सारे मेम्बरान ने उसमें हिस्सा लिया। मैं नहीं समझता उसमें एक भी ऐसी आवाज़ आई जो इस हक में रही कि हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड न दिया जाय। इसके बावजूद यह कहना कि "सम सपोर्ट आफ सपोर्ट" है यह जरा मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं माननीय शुक्ल जी से बहुत अदब के साथ अर्ज करूँगा कि इस वहम को वे दिल से निकाल दें कि वहाँ कोई दूसरी आवाज़ भी है। वैसे तो हर बात के लिये कोई एक राय नहीं होती क्योंकि बहुत सी बातें होती हैं। किमी को पोलिटिकली फ्रस्ट्रेशन होता है, ऐसे लोग हों जो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हों लेकिन न बन सके हों, वह ऐसा कुछ कह सकते हैं मगर इस मामले में ऐसी कोई बात नहीं हुई, वहाँ के सब लोगों ने चाहा, और जो उन लोगों का तर्जुबा रहा उसके मुताबिक उन्होंने मांग की, कि हमारा हक हमको मिलना चाहिये।

इसके साथ-साथ दूसरा ध्यान मैं माननीय शुक्ल जी का हमारे एक फिक्कर की तरफ

[श्री सी० एल० वर्मा]

दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने जहाँ यह विश्वास दिलाया कि हिमाचल प्रदेश को जल्द से जल्द पूरा राज्य मिलना चाहिये वहाँ उन्होंने इस तरह से कहा कि हिमाचल प्रदेश को “धीरे धीरे या जल्दी से जल्दी” वह मिल जायेगा। शीघ्रातिशीघ्र कहते तो कोई बात नहीं थी, यह अंग्रेज जिस तरह कहते थे, जब हम आजादी की लड़ाई लड़ते थे, कि जैसे वह एक खिलौना हो—कल ले लो, परसों ले लो, आजादी तब दी जायेगी जब तुम बिलकुल मैच्योर हो जाओगे। इसलिये मैं खास तौर से होम मिनिस्टर से कहना चाहता हूँ कि वह हिमाचल प्रदेश के सेन्टीमेन्ट्स के साथ ऐसा सलूक न करें बल्कि उनकी जो मांग है उसको पूरा करें।

3.P.M.

और यह धीरे धीरे सवाल की बात तो यूँ आ सकती है कि इस वक्त जो मौजूदा ढाँचा है उसके अन्दर यह व्यवस्था है कि जो कुछ भी काम करना होता है उसके लिए होम मिनिस्ट्री की इजाजत लेनी पड़ती है। मैं मिसाल के तौर पर आपको बतलाना चाहता हूँ कि अगर हमको स्टेशनरी खरीदनी है तो हम 10 हजार से ज्यादा स्टेशनरी नहीं खरीद सकते हैं। हमारे पास इतने साधन नहीं हैं कि इससे ज्यादा स्टेशनरी हम खरीद सकें लेकिन हम से कहा जाता है कि अगर 10 हजार की स्टेशनरी से काम नहीं चल सकता है तो 20 हजार की स्टेशनरी खरीद लो, क्योंकि केन्द्रीय सरकार धीरे धीरे चलना चाहती है। अगर हमें वकील को 200 रुपया देने की इजाजत है तो जरूरत के वक्त हम किसी वकील को 500 रुपया नहीं दे सकते हैं और उसके लिए हमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी लेनी होगी। आप कहते हैं कि आप हजार रुपया ले लीजिये और फिर वही धीरे धीरे वाली बात कही जाती है। इसी तरह से हम न मोटर गाड़ी खरीद सकते हैं और न जमीन व मकान खरीद सकते हैं। इस बारे में मैं आपके सामने एक मिसाल

देना चाहता हूँ। जिस समय वहाँ पर टैरी-टोरियल काँसिल थी तो वह मेट्रोपोल होटल खरीद रही थी। उसकी कीमत उस समय 1 लाख 80 हजार रुपया तक हो चुकी थी। एक चीफ सेक्रेटरी वहाँ पर थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन्होंने एक कलम निकालकर यह लिख दिया कि आपको खरीदने की इजाजत नहीं है और इसलिए हम इस बिल्डिंग को नहीं खरीद सके बगैर सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी के। अब वही बिल्डिंग 10 साल बाद 7 लाख रुपये को खरीदी जा रही है। इस किस्म के वहाँ पर सवाल हैं और होम मिनिस्ट्री इस तरह से वहाँ का प्रशासन चला रही है। आप कहते हैं कि हम आयन्दा इजाजत दे देंगे, तो यह बात मेरी समझ में आनेवाली नहीं है।

इसी तरह की बहुत सी बात हैं, ग्रांट-इन-एड है, जिसकी मंजूरी के वास्ते हमें सेन्टर को रैफर करना पड़ता है। अगर किसी का क्लेम 6 साल से ज्यादा हो गया हो, उसका क्लेम नहीं कर सकते हैं जबतक कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी न हो।

इस वक्त हिमाचल प्रदेश के अन्दर प्लानिंग बोर्ड नहीं है। हमें मालूम नहीं है कि वहाँ के प्लानिंग के बारे में क्या क्या बातें सेन्टर की ओर से बनाई जाती हैं। ऊपर से आफिसर आते हैं, होम मिनिस्ट्री के आफिसर आते हैं और वे ही वहाँ के बारे में प्लानिंग का काम करते हैं। हम लोग कोई मामूली सड़क या कोई टेप लगाने के लिए कहते हैं तो वह नहीं लगाया और बनाया जाता है। वहाँ के जो एम० पीज और एम० एलएज हैं उनका प्लानिंग में कोई दखल नहीं है, तो इस तरह से वहाँ का प्लान किस तरह से हो सकता है। आप कहते हैं कि धीरे धीरे प्लानिंग बोर्ड भी दे देंगे। यह चीज जो धीरे धीरे की है उससे हिमाचल प्रदेश की जनता को फायदा पहुंचने वाला नहीं है।

इस वक्त हिमाचल प्रदेश के अन्दर कोई इंडस्ट्री नहीं है। क्यों नहीं है? इसकी वजह

यह है कि हिमाचल प्रदेश किसी भी उद्योग-पति को कोई चीज मुहय्या नहीं कर सकता है और न ही लोन दे सकता है। अगर किसी को लोन देना होगा तो इसके लिए गवर्नमेंट आफ इंडिया की मंजूरी लेनी होगी। इसका नतीजा यह हो रहा है कि आज 20 सालों से वहां पर सिर्फ एक दो लकड़ी की पैकिंग बनाने वाली फैक्टरियां हैं जो बहुत ही छोटी हैं। हम अखबारों में पढ़ते हैं कि वहां पर सीमेंट की फैक्टरी लगने वाली है और इसी तरह की दूसरी फैक्टरी लगने के बारे में अखबारों में खबरे आती रहती हैं, लेकिन देखने में अभी तक यह आया है कि वहां पर कोई भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगी है। इसके बारे में सरकार की ओर से कहा जाता है कि आयन्दा हम सब का सब तुम्हारे हवाले कर देंगे। जहां तक प्राइवेट सेक्टर का सवाल है या पब्लिक सेक्टर का सवाल है, वहां भी कोई इंडस्ट्री नहीं लगी है। पब्लिक सेक्टर के बारे में हम लोग इतना चिल्लाते हैं कि उसको तरजीह दी जानी चाहिये लेकिन पब्लिक सेक्टर में आजतक वहां पर कोई इंडस्ट्री नहीं लगी है। इसलिए मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यह धीरे धीरे की पालिसी है, उससे काम नहीं चलेगा।

हिमाचल प्रदेश के लोगों की उपहले ही से यह मांग है और यह हमारी कॉन्स्टीट्यूशनल मांग है कि उसको फुल फ्लैज्ड स्टेटहुड का दर्जा दिया जाना चाहिये। इस वक्त हमारा जो यूनियन टैरिटरी है, वह क्या है। वहां पर जो इस वक्त यूनियन टैरिटरी है, वह होम मिनिस्ट्री के एक डिपार्टमेंट के रूप में है। इस किस्म का जो आर्गनाइजेशन यूनियन टैरिटरी का आपने वहां पर खड़ा कर रखा है वह कुछ नहीं है। यह तो आप ने सिर्फ एक ढांचा खड़ा कर रखा है ताकि हम चुप रहे। हम से कहा जाता है कि तुम को चार इंच का झन्डा दे दिया है, मिनिस्ट्रों को बैठने के लिए कुर्सी दे दी है, एक हाल बना दिया है जहां आप सवाल कर सकते हैं, जवाब दे

सकते हैं। मगर जहां तक असली काम का सवाल है वह वहां पर कुछ नहीं होता है। जब पार्लियामेंट में वहां के बारे में सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब आ जाता है कि चूंकि वहां पर असेम्बली है इसलिए वहां पूछिये। इस लिए मैं यह बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि यह जो धीरे-धीरे का सवाल है उसको बिल्कुल ही दिमाग से निकाल दिया जाना चाहिये। जैसा कि एक दफा स्वर्गीय शास्त्री जी ने कहा था जबकि 1963 में यूनियन टैरिटरी ऐक्ट बना था कि जो कुछ देना है वह एक दफा दे दीजिये। धीरे-धीरे का जो सौदा है वह अच्छा नहीं है और इस तरह की बात नहीं होनी चाहिये।

इसके अलावा मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा "जहां तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है हम यह कहते हैं कि हम सामान्य रूप में राज्य का शासन देने के लिए तैयार हैं और उसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर हमें उसकी आर्थिक अवस्था को भी देखना है ताकि केन्द्रीय सरकार का बोझ न बट जाय" अब यह बोझ वाली बात आई और मेरी समझ में यह नहीं आता है कि यह बोझ कैसे पड़ेगा। यह बोझ किम तरह से बढ़ने वाला है जब कि जो बोझ हम पर बढ़ने वाला था वह सेंटर दे चुका है। इसके अलावा क्या बोझ होगा? अभी वहां पर लैफ्टिनेन्ट गवर्नर है और इस तरह से सिर्फ एक लफ्ज का बोझ बढ़ेगा। लैफ्टिनेन्ट गवर्नर के बजाय 'गवर्नर' होगा क्योंकि जहां तक उसके स्टाफ का सवाल है, रहने का सवाल है और दूसरी चीजों का सवाल है वह सब कुछ मौजूद है। इसलिए मैं नहीं समझ सकता कि किस तरह से हमारे ऊपर बोझ बढ़ने वाला है। जहां तक सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट्स का सवाल है, होम मिनिस्ट्री की एक टीम वहां पर गयी हुई थी। जहां तक मुझे इल्म है, उस टीम ने होम मिनिस्ट्री को यह रिक्मेड किया कि वहां पर बहुत ज्यादा स्टाफ है जिसकी वहां पर जरूरत नहीं है। 1956 से लेकर 1962 तक वहां पर बहुत ज्यादा रिक्लूमेन्ट हो गया था क्योंकि



[श्री मी० एल० वर्मा]

वहा पर पहले होम मिनिस्ट्री का राज था वहा का एडमिनिस्ट्रेशन होम मिनिस्ट्री के मातहत था और उसने जितनी पोस्ट मेक्शन करनी चाही, की। इस वक्त हिमाचल प्रदेश की करीब 30 लाख की आबादी है और वहा पर 90 हजार के करीब नफरी है, नान गजेटेड स्टाफ है। इस तरह से हिमाचल प्रदेश के ऊपर कोई बोझ पडने वाला नहीं है जहा तक फाइनेस के बोझ का सवाल है। सिर्फ नाम का जरूर बोझ होगा और लेफ्टिनेट गवर्नर के बजाय गवर्नर कहना पडेगा। यह बोझ जरूर है।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश की आर्थिक हालत को बढावा देना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हिमाचल प्रदेश को पहली योजना, दूसरी योजना, तीसरी योजना में रुपया मिला, जिसके लिए हम मशकूर हैं। इस अरसे में, जैसा कि अभी पांडे जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की पर कैपिटल इन्कम 216 से 364 तक बढ़ गई है। मगर जहा तक चौथी योजना का सवाल है, उसके लिए जो पुराना हिमाचल प्रदेश था, उसके लिए 87 करोड़ रुपया दिया गया है। अब उसके पास ज्यादा इलाका आ गया है और वह भी बैकवर्ड इलाका है। यह इलाका कागडे का है जो पहले पंजाब में था और अब वह हिमाचल प्रदेश में शामिल हो गया है। चौथी योजना में हमें जो रुपया मंजूर हुआ है वह शायद 94 करोड़ रुपया है जिसमें से गिरीवाता प्रोजेक्ट भी शामिल है। इस तरह से इस प्रोजेक्ट के लिए भी रुपया चौथे प्लान में काट दिया गया है जो कि वहा के लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह से कागडे के लिए वाटर सप्लाई की स्कीम बनाई गई थी। स्कीम के लिए सरकार की ओर से 33 लाख रुपया तो नहीं दिया गया है मगर स्टाफ के लिए रुपया दे दिया गया है। जहा तक स्कीम का ताल्लुक है उसके लिए रुपया काट दिया गया है। स्टाफ तो होगा और स्कीम के लिए रुपया नहीं होगा, तो वह क्या काम करेगा। इस समय वहा पर

तीन चीफ इंजीनियर हैं और बहुत सा स्टाफ है जो कि खाली पडा हुआ है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस स्कीम के लिए भी रुपया जल्द से जल्द मंजूर किया जाना चाहिये ताकि जो लोग इस समय खाली बैठे हुए हैं उन्हें काम पर लगाया जा सके। अगर आप हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करना चाहते हैं तो कागडा जो कि एक बैकवर्ड एरिया है उसके सुधार के लिए जल्द से जल्द रुपया दिया जाना चाहिए। इसलिए मैं यह अर्ज करना चाहता हू कि कम से कम चौथी योजना के लिए हिमाचल प्रदेश को 200 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए जबकि उसके पास ज्यादा इलाका आ गया है और आबादी भी बढ़ गई है। अगर यह रुपया एकदम नहीं दिया जा सकता है तो उसको धीरे धीरे दिया जा सकता है ताकि हमारे हाथ तग न होने पावे। इस वक्त हालत यह है कि जो हमें 94 करोड़ रुपया चौथे प्लान के लिए दिया गया है उसको हमें आधा आधा, जो हिस्सा अभी हमारे पास आया है उस पर बाटना पड रहा है। कागडे का जो हिस्सा अभी हमारे पास आया है उसमें बहुत कम काम हुआ है और इस तरह से आधा रुपया जो हमें चौथे प्लान के लिए दिया गया है वह उस के विकास के लिए खर्च कर दिया जायेगा। इसका नतीजा यह होगा कि जिस स्पीड से हम बार्डर स्टेट को आगे ले जाना चाहते हैं, उस स्पीड से उसको आगे नहीं ले जा पायेंगे। अभी तो हालत यह है कि आप ने दो सालों के अंदर वहा दो कालेज दिये। एक साल में हम को एक कालेज देते हैं और इसलिये हम को दोनो कालेज कुल्लू और ऊना में खोलने पडे (Time bell rings) इस वास्ते वायविलिटी का मब से बड़ा झगडा है इस के लिए होम मिनिस्ट्री भी हम को हमेशा कहती रहती है कि अगर बाकी का अपना खर्चा तुम पैदा कर लो तो कोई दिक्कत उन को नहीं है हम को स्टेट का दर्जा देने में। आप देखें कि यूनियन टेरिटरी का खर्चा क्या है।

THE DEPUTY CHAIRMAN :  
You must wind up. You have already  
taken 20 minutes.

श्री सी० एल० वर्मा : आप देखे कि यूनियन टेरिटरी का बजट क्या है। जितना आप का सालाना बजट है उस में से आप की जो इन्कम है उस में से कुछ तो आप ग्रान्ट-इन-एड हम को दे देते हैं और उस में से दूसरे स्टेडो को भी देते हैं। दूसरे स्टेडो के लिये वह सब्सीडी और लोन के रूप में जाता है, लेकिन हम को ग्रान्ट-इन-एड मिल जाती है। इस वास्ते मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन कहना चाहता हूँ कि इस वक्त 1968-69 में जिस क्राइटेरिया के मातहत आप सहायता देने को तैयार हैं उस में हमारी टेरिटरी का खर्चा 21 करोड़ रुपये का है। इस में सेटर की स्कीमे दो करोड़ रुपये की है तो हमारा बाकी का खर्च 19 करोड़ रुपये का रहता है। 19 करोड़ रुपये में से इस साल हम जो अपनी आमदनी उम्मीद करते हैं वह साढ़े 17 करोड़ रुपये की है। इस माढ़े 17 करोड़ रुपये में से हमारा जो डेफिसिट उन तनख्वाहों की वजह से है वह डेढ़ करोड़ रुपये का है और इस डेढ़ करोड़ रुपये के लिये मैं आप का ध्यान फाइनेंस कमिशन 1965 की सिफारिश की तरफ दिलाना चाहूंगा जिस में कि हम को इन्कम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और स्टेट ड्यूटी का हिस्सा नहीं मिलता है। उस के हिसाब से आबादी को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश को 1 करोड़ 66 लाख रुपये मिलना चाहिये। तो अगर यह हिस्सा हम को दे दे तो हमारा खर्च बराबर हो जायेगा। इसी तरह से मनीपुर को 47 लाख मिलना चाहिये, त्रिपुरा को 68 लाख मिलना चाहिये, गोआ को 38 लाख मिलना चाहिये, पाडिचरी को 21 लाख मिलना चाहिये और दिल्ली को 157 लाख मिलना चाहिये। अब सवाल यह पैदा होता है कि बचत कैसे हो सकती है। इस वक्त आप स्टाफ को जो ओवर टाइम पे करते हैं वह रकम है 3,10,000 रुपये, स्पेशल पे जो आप ने दी वह है 1,93,200

रुपये और डेपुटेशन एलाउन्स जो आप ने दिया वह है, 7,30,100 रुपये। तो 12, 13 लाख रुपया तो इस तरह से ज्यादा खर्च हुआ। अगर स्टाफ पर मिनिस्ट्री का कंट्रोल हो तो इस में काफी कमी हो सकती है। इसी तरह जो फारेस्ट का स्टाफ फालतू आया उस पर 2,14,900 रुपया खर्च होता है। यह बचत हो सकती है। वर्क लोड के लिये मिनिस्ट्री को कोई पावर नहीं है। वह सकिल क्या है यह बता नहीं सकत। सकिल सब यहा से बनकर जायेगे, सब डिबीजन यहा से वन कर जायेगे। इसी तरह से रिक्लूटिंग बोर्ड का अभी तक वहा कोई प्रबंध नहीं है। जब तक यह नहीं होता है उस वक्त तक यह चीज चलती रहेगी। एक बात जो सब से जरूरी है वह यह है कि बजट में गैप बहुत भारी होता है। इस बजट के गैप के सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूँ कि 13 करोड़ रुपये की रकम ऐसी है जिन के लिये कि सेटर जिम्मेदार है। या तो वे बार्डर डिस्ट्रिक्ट्स की या सेटर की स्कीमे हैं जैसे तिब्बतियन रिफ्यूजीज हैं और फारेस्ट विभाग का एक्सट्रा स्टाफ है। तो इन सब के लिये जो खर्च होता है वह कोई 13 करोड़ की रकम है। यदि होम मिनिस्टर साहब चाहे तो यह मैं उन को अलग से बता सकता हूँ इसलिये कि यहा तो केवल 5 मिनट में मुझे खत्म करना है।

इसी तरह से जब 1962 में चाइनीज का हमला हुआ तो सेटर ने बार्डर डिस्ट्रिक्ट्स की स्कीम बनायी। कुल्लू के लिये वह है, किनौर के लिये वह है। उस में किनौर में पर कैपिटल 595 रुपया पर हेड खर्च होता है, लाहौल और स्पीती में 468 रुपया खर्च होता है और इस तरह के जितने भी खर्च हैं उन की जम्मेदारी कम से कम हिमाचल प्रदेश की सरकार की नहीं होनी चाहिये। यह सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, यह खर्च उसे देना चाहिये। जैसे बार्डर पुलिस है। आपने बटालियनें बनायी हैं। यह ठीक है कि वह मारे मुल्क के लिये हैं और उन के लिये आप रुपया देते हैं लेकिन उसे शो आप

[श्री सी० एल० वर्मा]

हमारे बजट में करते हैं और लोग कहते हैं कि आप को 20 करोड़ रु० मिला। मिलता मिलाता कुछ नहीं है। 5, 6 करोड़ रुपया मिलता है। आप की स्कीम है, आप ने हम को एजेंट मुकर्रर कर दिया, हम उसे पूरा कर देते हैं, लेकिन हमारा उस में हाथ नहीं है और खामखवाह उस में आप हिमाचल की सरकार को फंसा देते हैं। इस वास्ते मैं बहुत अदब के साथ आप से और माननीय होम मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि हिमाचल को और ज्यादा देर तक यूनियन टैरिटरी न रखा जाये; उस को स्टेटहुड दी जाये क्योंकि यह एक बार्डर स्टेट है। हम बड़े खुशनसीब हैं कि इस समय वहां भाई परमार जैसे सियासतदां हैं जिन के हाथ में ताकत है। जे० ए० अहमद साहब ने कहा कि मास मूवमेंट चलाओ। यह हमारे लिये मुश्किल नहीं है, लेकिन हम उस को चलाना नहीं चाहते और न ही हमारे नेता उस को इजाजत देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर इस तरह की जवान या टुकड़े बढ़ते जायेंगे तो मास मूवमेंट लोग खुदबखुद चलायेंगे। यह तो गवर्नमेंट की खुशनसीबी है कि वहां एक स्टैबिल गवर्नमेंट रही और रहेगी, लेकिन अभी तक यह नहीं सोचा गया है कि उस को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों न दिया जाय। मेरी प्रार्थना है माननीय होम मिनिस्टर साहब से कि वह इस को बड़े ध्यान से सोचें कि इस में ज्यादा देरी करने से गड़बड़ होने का इमकान है और यह हो जाना चाहिये।

सर्विसेज के बारे में जो एक जानवर है धानी सर्विस, जितनी जल्दी उसे निकाल सकें बेहतर है। क्योंकि हिमाचल के लिये वह बड़ा कर्स है। आप मनीपुर, नागालैंड और काश्मीर के लिये आई० ए० एस०, आई० पी० एस० बना सकते हैं, हिमाचल के लिये क्यों नहीं बना सकते। यूनियन टैरिटरीज के लिये एक ज्वाइंट कैंडर है। उस में आप कोई इम्तहान नहीं लेते। नतीजा यह है कि जो

आई० ए० एस० में फेल होते हैं उन्हीं को आप यहां पोस्ट कर देते हैं। हिमाचल का कोई लड़का पिछले 8 साल में उसमें नहीं आ पाया है। जो सर्विस में हैं उन्हीं को तरक्की मिल जाती है, लेकिन जो नये लड़के हैं उन के लिये दरवाजा बंद है। अगर यह धानी सर्विस बंद नहीं होती है तो काफी गड़बड़ होने वाली है। इसलिये प्रार्थना है कि इस से जल्द से जल्द निकाल दिया जाये। मैं एक मिनट और लेना चाहूंगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सिविल सर्विस है वह मनीपुर के लिये अलग है, त्रिपुरा के लिये अलग है, लेकिन हिमाचल को रख दिया गया है दिल्ली के साथ। एक तरफ कहते हैं कि हिमाचल बैकवर्ड है और दूसरी तरफ उसे दिल्ली के साथ रख दिया। दिल्ली तो इतना बड़ा सिटी है कि उसारे मुल्क पर हुक्मत करता है। क्या दिल्ली के किसी आदमी के साथ हिमाचल का कोई आदमी मुकाबिला कर सकता है। यही कह देते कि हम को आप को सर्विस नहीं देना है, पीछे रखना है तो ज्यादा अच्छा होता। हम को कम से कम मालूम हो जाता कि होम मिनिस्ट्री नहीं चाहती कि हम उसी कोई सर्विस मिले। बस, मुझे इतना ही कहना है। थैंक यू, बेरी मच।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Are you withdrawing this resolution or are you pressing it?

SHRI C. L. VARMA: I am withdrawing it, Madam.

\*The resolution was, by leave, withdrawn.

#### RESOLUTION RE REVISION OF INVESTMENT POLICY OF LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS OF GOVERNMENT

SHRI ARJUN ARORA (Uttar Pradesh): Madam Deputy Chairman, I move that—

“This House is of opinion that

\*For text of the Resolution, vide col. 908 supra.